

(1)

सिविल अपील क्रमांक: 36 / 14

न्यायालय:- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गौहद जिला भिण्ड (म0प्र0)
(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य)

सिविल अपील क्रमांक: 36 / 14

संस्थापन दिनांक 15 / 12 / 10

फाइलिंग नं-230303000782010

1. वासुदेव उम्र 47 साल
2. रामबरन उम्र 42 साल
पुत्रगण मिटठूलाल बघेल,
निवासी गंज मोहल्ला, दत्तू का पुरा,
वार्ड नंबर-02, गोहद जिला भिण्ड

.....अपीलार्थी / वादीगण

बनाम

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जिला भिण्ड
2. तहसीलदार तहसील गोहद
3. नगरपालिका गोहद, द्वारा
मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
गोहद जिला भिण्ड
4. सुरेन्द्र पुत्र रामनाथ बघेल,
50 साल निवासी वार्ड नंबर-4,
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

..... प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण

अपीलार्थी / वादीगण द्वारा श्री आर.सी. यादव अधिवक्ता ।
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी क्र.-1, 2 द्वारा श्री दीवान सिंह गुर्जर अधिवक्ता
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी क्र.-3 द्वारा श्री महेश श्रीवास्तव अधिवक्ता
प्रत्यर्थी क्र.-4 द्वारा श्री जी.एस. गुर्जर अधिवक्ता ।

न्यायालय-श्री मनीष शर्मा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, गोहद, जिला भिण्ड द्वारा व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक-157ए/2008 ई.दी. में पारित निर्णय दिनांक 18 / 11 / 2010 से उत्पन्न सिविल अपील ।

-:- नि र्ण य -:-

(आज दिनांक 3, दिसंबर 2014 को घोषित किया गया)

1. वादी/अपीलार्थीगण वासुदेव आदि की ओर से उक्त प्रथम सिविल अपील धारा 96 सी0पी0सी0 के अंतर्गत न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश

वर्ग-2 गोहद श्री मनीष शर्मा द्वारा सिविल वाद प्रकरण क्रमांक 157 ए/2008 में पारित निर्णय व आज्ञाप्ति दिनांक 18/11/2010 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलार्थीगण का मूल वाद सिर्फ कब्जे के आधार पर स्वीकार करते हुए शेष सहायताओं के संबंध में वाद को निरस्त किया है ।

2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि विवादित स्थान वर्तमान में नगर पालिका परिषद गोहद के वार्ड नंबर-2 की सीमा में स्थित है तथा सर्वे क्रमांक-1144 स्वीकृत तौर पर आवादी भूमि है ।
3. विचारण न्यायालय में अपीलार्थी/वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार रहा है कि वादपत्र के कलम नंबर-1 में वर्णित भूमि जिसे संलग्न नक्शा में लाल स्याही से अ,ब,स,द के रूप में चिह्नित किया गया है, वह धनपाल पुत्र धर्मजीत गडरिया के स्वामित्व आधिपत्य की थी, उसने यह जमीन 12/9/1926 को 50/-रुपये में समोखन से क्रय किया था । उक्त जगह धनपाल की मानते हुए 25/7/1932 को मकान बनाने की इजाजत नगर पालिका गोहद द्वारा दी गयी थी एवं कुएं के छोट निर्माण की इजाजत 19/6/1941 को दी थी । धनपाल वादीगण के पिता मिटठूलाल के ताऊ थे, जिनके कोई संतान ना होने से धनपाल ने अपने जीवन काल में मिटठूलाल के नाम वसीयतनामा 12/12/1943 को लिखकर दिया था । मिटठूलाल की मृत्यु के बाद उक्त जगह वादीगण को प्राप्त हुई, जिसमें वे अपने मवेशी बांधते हैं । उक्त जगह में शिवजी का मंदिर है, जिसमें वादीगण का कब्जा होकर बरताव है ।
4. दि.-7/6/1993 को नगर पालिका गोहद के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा भूमि पर पक्का खरंजा लगाने का प्रयास किया गया, तब एक दीवानी दावा 76/1993 संचालित किया गया, जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की गयी, जो बाद में अदम पैरवी में निरस्त हुआ । सर्वे नंबर-1193 की झूठी शिकायत हुई, जिसपर से राजस्व अधिकारियों द्वारा सीमांकन करने का प्रयास किया लेकिन मकान बने होने से सीमांकन नहीं हो सका । मौके पर विवादित जगह 1144 का अंश पायी गयी तथा 1193 व 1144 दोनों ही निस्तार आवादी भूमि है, जिनमें मकान बने हैं । दिनांक-26/9/2008 को पुलिस द्वारा भी कब्जा हटाने का प्रयास किया गया तथा नगर पालिका अधिकारियों द्वारा भी उन्हें हटाये जाने का प्रयास किया जा रहा है, अतः वादकारण उत्पन्न होने पर दावा की कलम नंबर-1 के अनुसार सहायता प्रदान किए जाने का निवेदन किया ।
5. प्रतिवादी क्र.-1 ने जवाबदावा पेशकर व्यक्त किया है कि विवादित भूमि नगर पालिका परिषद गोहद के सीमा की होकर नगर पालिका के स्वामित्व व आधिपत्य की है । विवादित भूमि में वादी का कोई स्वत्व नहीं है । भूमि सार्वजनिक उपयोग की है । वादी ने सार्वजनिक संपत्ति को हडपने के लिए यह झूठा दावा पेश किया है, वादीगण को प्रतिवादीगण

के विरुद्ध कोई वाद हेतुक पैदा नहीं होता है एवं विशेष आपत्ति कम न्यायालय शुल्क चस्पा की करते हुए वाद निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

6. प्रकरण में प्रति.क्र.-2 की ओर से कोई प्रतिवादपत्र पेश नहीं किया गया है, क्योंकि वह एक पक्षीय रहा है ।
7. प्रतिवादी क्र.-3 ने जवाबदावा पेशकर व्यक्त किया है कि वादी द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर नगर पालिका की सार्वजनिक भूमि को हड़पने के लिए दावा किया है । वादीगण ने कभी निर्माण की अनुमति नहीं चाही, ना ही इस प्रकार की कोई अनुमति दी गयी । नगर पालिका को बिना सूचना दिये कार्यवाही की गयी है, जो उस पर बंधनकारी नहीं है । नगर पालिका की भूमि को हड़पने के लिए वादीगण ने उक्त कार्यवाही की है । दावा निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।
8. प्रतिवादी क्र.-4 ने जवाबदावा पेशकर व्यक्त किया है कि विवादित जगह शासकीय होकर उसपर 50 साल से भगवान शंकर जी का मंदिर बना हुआ है तथा पूर्व में कारसदेव महाराज का चूतरा और मंदिर बना था । कुंआ सार्वजनिक उपयोग का है । मंदिर पर सभी लोग पूजा करते हैं । जगह 1144 का भाग नहीं है । धनपाल को भी वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था । वादीगण मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण करना चाहते हैं, वादी का जनप्रतिनिधित्व वाद के रूप में दावा करना चाहिये था, दावा संचालन योग्य नहीं है, दावा निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।
9. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारों के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वाद प्रश्नों की रचना करते हुये विचारण कर गुणदोषों पर दिनांक 18/11/2010 को घोषित निर्णयानुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य ना पाते हुये निरस्त किया, जिससे व्यथित होकर उक्त प्रथम सिविल अपील वादी/अपीलार्थीगण की ओर से पेश कर यह आधार लिया है कि, मुख्य नगर पालिका अधिकारी गोहद नथीलाल ने अपने कथन में यह बताया कि 1932 में मकान निर्माण की स्वीकृति वादी के पूर्वाधिकारी द्वारा ली गयी हो तो उसे जानकारी नहीं है, अतः उसने इस तथ्य से स्पष्ट इंकार नहीं किया है, प्र.पी.-5 का दस्तावेज 12/9/1926 का है, जो 30 साल से अधिक पुराना होने से उचित अभिरक्षा में प्रस्तुत किए जाने के कारण साक्ष्य विधान की धारा-90 के तहत मान्य किए जाने योग्य है ।
10. वादी साक्षी क्र.-1 को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया कि प्र.पी.-5 विवादित भूमि से संबंधित ना होकर अन्य भूमि का हो । यह भी सुझाव नहीं दिया गया कि उक्त दस्तावेज में बतायी गयी चतुरसीमा लंबाई चौड़ाई वर्तमान विवादित संपत्ति में समाहित नहीं होती है, इसके

बाद भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादी की साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षण को बिना देखे निष्कर्ष दिया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है । इसके विपरीत प्रतिवादी साक्षी क्र.-5 हाथीलाल द्वारा संपत्ति की पहचान को स्पष्ट शब्दों में इंकार नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विवादित स्थान दस्तावेज दि.-12/9/1926 से वादी के पूर्वज द्वारा क्रय किया गया तथा नगर पालिका द्वारा निर्माण की अनुमति दी गयी थी । सर्वे नंबर-1144 आवादी नजूल भूमि है, किन्तु उक्त भूमि सार्वजनिक है, ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, सर्वे नंबर की भूमि पर आवादी लिखे जाने का अर्थ है कि उक्त भूमि पर आवादी भूमि होकर लोग काबिज हैं, जिसका गलत अर्थ विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकाला है, जो निरस्त किया जावे ।

11. प्रकरण में शंकरजी का मंदिर व देव स्थान के बाबत कोई विवाद नहीं है किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय के पद क्र.-19 में गलत रूप से मंदिर को विवादित बताया, वादी के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि पर उसका कोई घर मंदिर है तो उससे वादी के स्वत्व प्रभावित नहीं होते हैं । विवादित भूमि में जब नगरपालिका द्वारा खरंजे का निर्माण किए जाने की कार्यवाही की गयी, तब यह दावा पेश किया था । मौके पर वादी के अतिरिक्त किसी अन्य ग्रामवासी का कब्जा होना प्रतिवादी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है, इसके बावजूद भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को निरस्त करने में कानूनी भूल की है । विवादित भूमि से लगा हुआ वादी का भवन है, विवादित भूमि के आसपास प्रतिवादी क्र.-4 या गांव के किसी अन्य व्यक्ति का भवन या कब्जा नहीं है, इस भूमि का वादीगण ही उपयोग व उपभोग करीब 50 साल से करते आ रहे हैं, जिसको अनदेखा कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी की निर्बल साक्ष्य को ग्राह्य कर अपीलार्थी/वादी की साक्ष्य को अविश्वसनीय मानकर वाद स्वीकार करने में विधि एवं तथ्य की गंभीर त्रुटि की है, इसलिये अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

12. अपील के निराकरण के लिये मुख्य रूप से निम्न प्रश्न विचारणीय है:-

1. क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल वाद क्रमांक-157 ए/08 इ0दी0 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18/11/10 प्रकरण में आई साक्ष्य एवं विधि के प्रतिकूल होकर अपास्त किये जाने योग्य है?
2. क्या वादी/अपीलार्थीगण का मूल वाद स्वीकार किए जाने योग्य है?

-:- निष्कर्ष के आधार -:-विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2

13. अभिलेख पर उपलब्ध लेखीय एवं मौखिक साक्ष्य तथा उभयपक्ष की ओर से उठाये गये बिन्दुओं को देखते हुए दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण पुनर्वाच्य न हो इस कारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।
14. अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया। आलोच्य निर्णय में निकाले गये निष्कर्ष पर मनन किया। उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत लिखित व मौखिक तर्कों पर भी चिन्तन, मनन किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय आलोच्य निर्णय मुताबिक वादी/अपीलार्थीगण का विवादित भूमि पर स्वामित्व होने से इंकार किया है और आधिपत्य माना है, लेकिन आधिपत्य को वैधानिक ना मानते हुए उसे विधिवत हटाकर कब्जा प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण को दी है, जिससे व्यथित होकर उक्त प्रथम सिविल अपील पेश की गयी है और मूलतः वादी/अपीलार्थीगण के द्वारा जो आधार लिये गये हैं, उसमें इस बात पर अधिक बल दिया है कि विवादित स्थान वादी/अपीलार्थीगण के वैध स्वामित्व, आधिपत्य का है। क्योंकि उनके पूर्वज पिता मिटठूलाल के तारु धनपाल के द्वारा विधिवत वसीयतनामा के द्वारा दिया गया था जो धनपाल की मृत्यु के बाद प्रभावशील होने से मिटठूलाल भूमिस्वामी आधिपत्यधारी हुए और मिटठूलाल की मृत्यु होने पर वे पैत्रिक संपत्ति होने से वैध उत्तराधिकारी होने से भूमिस्वामी, आधिपत्यधारी हुए।
15. विवादित भूमि शासकीय भूमि नहीं है, बल्कि उसके मूल स्वामी समोखन थे और समोखन से धनपाल ने भूमि दि.-12/9/1926 को 50/-रुपये में क़य की थी, जिसका बयनामा पेश किया गया है और 30 वर्ष से अधिक पुराने दस्तावेज में बयनामा लिखित व वसीयतनामा जो 1943 का है तथा तत्समय 1932 में भवन निर्माण की अनुमति तथा कुआ बाबड़ी के जीर्णोद्धार की सन् 1941 में प्राप्त हुई अनुमति के आधार पर स्वामित्व की भी डिक्री चाही है और वैध आधिपत्य की घोषणा चाही है, जैसा कि वादी/अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किए गये विस्तृत लिखित तर्कों में भी व्यक्त किया गया है तथा सीमांकन जिसके आधार पर वाद खारिज किया गया है, उसकी वैधानिकता को चुनौती दी गयी है, जबकि प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण की ओर से विरोध स्वरूप जो तर्क किया गया है उनमें मूलतः इस बात पर बल दिया है कि वादग्रस्त संपत्ति शासकीय होकर नजूल की होकर नगरपालिका क्षेत्र की है, जिसका सार्वजनिक उपयोग होता है, निजी स्वामित्व नहीं है तथा जो दस्तावेज वादी/अपीलार्थीगण ने पेश किया वह भ्रामक होकर वादग्रस्त संपत्ति से संबंधित नहीं है इसलिये आलोच्य निर्णय उचित व न्याय संगत है और अपील निरस्त की जावे।

16. अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख व आलोच्य निर्णय के अध्ययन करने पर यह विदित है कि वादी/अपीलार्थीगण द्वारा जो वाद विवादित जगह के संबंध में पेश किया गया है, उसका नजरी नक्शा भी उन्होंने पेश किया है और प्रदर्श पी.-1 लगायत-पी.-19 के दस्तावेज पेश करते हुए मौखिक साक्ष्य में स्वयं वादी/अपीलार्थी वासुदेव के अलावा आनंद कुमार व नाथूराम के कथन भी कराये गये हैं । खण्डन में प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्र.-1 लगायत-3 की ओर से तत्कालीन सी.एम.ओ. नगरपालिका नत्थीलाल प्र.सा.-5 के रूप में परीक्षित कराया गया और प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्र.-4 की ओर से स्वयं सुरेन्द्र सिंह प्र.सा.-1 महेश प्रसाद प्र.सा.-2, कप्तान सिंह प्र.सा.-3, सरनाम प्र.सा.-4 पेश किए गये हैं ।
17. जहां तक मौखिक साक्ष्य का प्रश्न है, वादी/अपीलार्थी वासुदेव वा. सा.-1 ने अपने वादपत्र के अभिवचनों के अनुरूप ही मौखिक साक्ष्य दी है। उसका समर्थन आनंद कुमार वा.सा.-2 और नाथूराम वा.सा.-3 ने अपने शपथपत्रीय मुख्य परीक्षण में किया है, किन्तु प्रतिपरीक्षण में वे अनेक महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर स्थिर नहीं हैं । आनंद कुमार वार्ड नंबर-6 का निवासी है, जबकि वादग्रस्त संपत्ति वार्ड नंबर-2 में स्थित है।
18. वादीगण के वाद आधार का जो मूल आधार है, वह प्रदर्श पी.-5 लगायत-8 के दस्तावेज हैं, क्योंकि उसके अलावा प्रदर्श पी.-9 लगायत-13 के जो दस्तावेज हैं, वे वादी/अपीलार्थी के पिता मिटठूलाल के द्वारा सन 1993 में विवादित संपत्ति के संबंध में स्वत्व घोषणा और स्थाई निषेधाज्ञा के इसी आधार पर पेश किए गये सिविल वाद क्रमांक-67 ए/1993 से संबंधित होकर वादपत्र, प्रतिवादपत्र, वादपत्र का नजरी नक्शा, अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी का आदेश और वाद अदम पैरवी में खारिज होने की आदेशपत्रिका पेश की गयी हैं तथा प्रदर्श पी.-12 के अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश में आधार बनाया जा रहा है, जबकि यह सुस्थापित विधि है कि अस्थाई निषेधाज्ञा संबंधी आवेदनपत्र का निराकरण अंतरिम रूप से होता है, जिसका गुणदोषों पर कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिये उसके संबंध में किया गया तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है तथा प्रदर्श पी.-9 लगायत-13 के दस्तावेजों से यह भी स्थापित है कि पूर्व में मिटठूलाल द्वारा नगरपालिका, गोहद के विरुद्ध किये गये सिविल वाद में कोई भी विचारणीय बिन्दु गुणदोषों पर निराकृत नहीं हुआ है, ऐसे में पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादप्रश्न क्र.-6 के निष्कर्ष में जो उपापत्ति की है, वह विधि अनुरूप होने से पुष्टि योग्य है ।
19. जिस तरह के वाद आधार लिये गये हैं और जो विवादित संपत्ति है, वह खुली भूमि के रूप में है, जैसा कि नजरी नक्शा में भी दर्शाया गया है और उसमें शंकरजी का मंदिर का चबूतरा, कुंआ, पेड़-पौधे और कारसदेव का चबूतरा भी शामिल है, जिसे वादी/अपीलार्थीगण अपनी

निजी पुश्तैनी संपत्ति बताते हैं, जबकि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्र.-4 के प्रदर्श पी.-14 के सीमांकन संबंधी दिये गये आवेदनपत्र जिसमें सर्वे नंबर-1193 रकबा 0.021 हैक्टेयर के सीमांकन की प्रार्थना की गयी थी और राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन रिपोर्ट प्रदर्श पी.-15 दिनांक-18/9/2008 की जो पेश की गयी थी, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी.-16 एवं 18 नक्शा अक्स मय फील्डबुक प्रदर्श पी.-17 तैयार किया गया था, जिसपर से प्रदर्श पी.-18 का सीमांकन आदेश हुआ, उसमें वादग्रस्त जगह सार्वजनिक उपयोग की बतायी गयी, जिसमें शंकरजी का मंदिर, कारसदेव का चबूतरा, कुंआ और पेड़-पौधे इत्यादि बताये गये ।

20. हालांकि मौके पर कब्जा विद्याराम आदि का प्रदर्श पी.-15 मुताबिक अंकित किया है, कब्जे के संबंध में वादी/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि कब्जा स्वामित्व की प्राथमिक साक्ष्य होती है और उसके आधार पर वैध कब्जा अभिकथित करते हुए सीमांकन की कार्यवाही को प्रश्नगत किया है कि विवादित जगह जो कि मोहल्ला दत्तू का पुरा गोहद, नगरपालिका परिसर के अंतर्गत वार्ड नंबर-2 में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 65 फीट पूर्व-पश्चिम और 45 फीट उत्तर-दक्षिण है, जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में अ.ब.स.द से अंकित किया गया है जिसपर उनका आधिपत्य भी है, किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश कंडिका-21, 22 में गलत निष्कर्ष निकाला है और प्रदर्श पी.-5 लगायत-8 के आधार पर उनका स्वामित्व प्रमाणित है । मौखिक साक्ष्य में जो प्रतिवादी साक्षी क्र.-1 लगायत-5 के रूप में साक्षी पेश हुए हैं, उन्होंने वादीगण के उक्त प्रकरण की साक्ष्य का खण्डन करते हुए विवादित जगह सार्वजनिक उपयोग की बताते हुए शासकीय मूलतः बतायी है । प्रदर्श पी.-6 एवं पी.-7 की जो निर्माण अनुमति है, उनका खण्डन सी.एम.ओ. नत्थीलाल प्र.सा.-5 ने अपनी मौखिक साक्ष्य में किया है, जबकि वादीगण की साक्ष्य में उक्त संपत्ति वादीगण की पुश्तैनी बतायी गयी ।

21. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां मौखिक और दस्तावेजी दोनों प्रकार की साक्ष्य पेश की जाती है, वहां संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना होता है और सिविल मामले के बारे में यह सुस्थापित विधि है कि प्रत्येक सिविल मामले का निराकरण प्रबल संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर किया जाना चाहिये । वर्तमान मामले में वादी/अपीलार्थीगण के जो मूल वाद आधार हैं, वह प्रदर्श पी.-5 लगायत-8 पर आधारित हैं और दस्तावेजों के संबंध में यह सुस्थापित सिद्धांत है कि दस्तावेजों के निबंधनों से ही उसकी प्रकृति और आशय एकत्र किए जाने चाहिये । जैसा कि न्याय दृष्टांत रमाकांत दुबे विरुद्ध सुरेश चन्द्र 1090 भाग-2 एम.पी. वीकली नोट शॉर्ट नोट-182 में प्रतिपादित किया गया है और मनोहर लाल विरुद्ध सुगनचंद्र 1977 एम.पी.एल.जे. शॉर्ट नोट-58 में यह मार्गदर्शन दिया गया है कि दस्तावेजों की शब्दावली के आधार पर उसकी प्रकृति निश्चित की जानी चाहिये जो इस प्रकरण में भी प्रदर्श पी.

—5 लगायत—8 के संबंध में लागू किए जाने योग्य है तथा जो बिन्दु उत्पन्न किए गये हैं, उनसे प्रकरण में निम्न प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं :—
“क्या सीमांकन का कार्यवाही को जिस प्रकार की चुनौती सिविल न्यायालय में दी गयी है, उसके लिए उचित फॉर्म है अथवा नहीं ? तथा वादग्रस्त संपत्ति किस सर्वे नंबर का अंग है ? और क्या वादी/अपीलार्थीगण जिस प्रकार कब्जे को स्वामित्व का प्रमाण बताते हैं वह स्वीकार योग्य है ? तथा यह भी देखना होगा कि क्या विवादित संपत्ति का मूल स्वामी समोखन था, जिसने धनपाल को विक्रय किया और धनपाल ने मिटठूलाल को वसीयत की ।

22. अभिलेख पर जो मौखिक साक्ष्य है, उसमें यह बिन्दु भी उत्पन्न हुआ है कि विवादित जगह का उद्योग जन सामान्य द्वारा किया जाता है, क्योंकि आम लोग भी शंकर जी के मंदिर कारसदेव के चबूतरे पर धार्मिक अनुष्ठान, पूजा-पाठ इत्यादि के लिए आते जाते हैं । हालांकि दोनों की साक्ष्य में यह बिन्दु अवश्य आया है कि भूमि आवादी में है, किन्तु जो दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर है, उससे भूमि नजूल की सर्वे नंबर—1144 का अंश होना स्थापित होता है और यह सुस्थापित विधि है कि नजूल की भूमि को स्थानांतरित या वैधित नहीं किया जा सकता ।

23. अभिलेख पर ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं है, जिससे विवादित संपत्ति समाखेन के स्वामित्व की होना मानी जा सके । हालांकि यह सही है कि प्रदर्श पी.—5 और 8 के जो दस्तावेज हैं, वे सभी 30 वर्ष से अधिक पुराने हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा—90 के प्रावधान मुताबिक ऐसे दस्तावेज के सही होने की उपधारणा की जा सकती है, किन्तु प्रदर्श पी.—5 की जो लिखतम है, उसमें समोखन द्वारा धनपाल को 50 रुपये में जो संपत्ति बेची, उसमें मकान व मडैया पूर्व पश्चिम 64 हाथ, दक्षिण से उत्तर 74 हाथ अंकित किया गया है, जिसे समोखन ने बद्रीप्रसाद ब्राम्हण से लिया था, ऐसे में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि बद्रीप्रसाद ब्राम्हण नाम व्यक्ति क्या मूल स्वामी था और क्या प्रदर्श पी.—5 की लिखतम विवादित संपत्ति से ही संबंधित है, जबकि प्रदर्श पी.—5 के अध्ययन करने पर ऐसा परिलक्षित नहीं होता है कि जिस भूमि का वर्तमान मामले में विवादित किया गया है, उसी की है । क्योंकि ना तो उसके साथ कोई नजरी नक्शा है, ना ही कोई चतुर सीमा का उल्लेख है, जिससे उसका आंकलन किया जा सकता है ।

24. इसी प्रकार अभिलेख पर वादी/अपीलार्थीगण के द्वारा कोई सजरा खानदान नहीं बताया गया है, जैसा कि उनकी साक्ष्य में भी स्वीकारोक्ति आयी है, जिससे भी यह बिन्दु प्रमाणित नहीं होता है कि धनपाल और वादी/अपीलार्थीगण के पिता मिटठूलाल एक ही कुटुम्ब के सदस्य थे । हालांकि प्रदर्श पी.—8 के आधार पर ऐसा मान भी लिया जाये तो प्रदर्श पी.—8 की वसीयत का महत्व तभी होगा जबकि वह विवादित संपत्ति से संबंधित मानी जाये और धनपाल को उसका स्वामी माना जाये । इसके आंकलन के लिए प्रदर्श पी.—6 एवं 7 की निर्माण अनुमति को आधार

बनाया गया है, प्रदर्श पी.-6 का अध्ययन करने पर जो निर्माण सेक्रेटरी मिन्युसपल्टी गोहद के द्वारा दिनांक-29/6/1932 को दिया गया था, उसमें धनपाल को इस बात की अनुमति दी गयी थी, कि वह नक्शा मुताबिक मकान का निर्माया कर ले, लेकिन प्रदर्श पी.-6 के साथ कोई नक्शा संलग्न नहीं है, इसिलिये उसके आधार पर किसी भी प्रकार की कोई उपधारणा निर्मित नहीं की जा सकती है कि वह वादग्रस्त भूमि से संबंधित हो ।

25. इसी प्रकार प्रदर्श पी.-7 की जो अनुमति धनपाल को दि. -18/6/1941 को मिली, उसमें भी पुरानी बाबड़ी, घाट, तामीर (जीर्णोद्धार) करने की इजाजत चाही गयी थी, वह पुराने निशानात पर तामीर करने की अनुमति दी गयी । मौके पर जो वर्तमान में कुआ है, वह पूर्व में बाबड़ी की शकल में रहा हो, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिये उसके आधार पर भी कोई उपधारणा वादी/अपीलार्थीगण के पक्ष में निर्मित नहीं की जा सकती है ।
26. विवादित संपत्ति के आसपास बस्ती होना उभयपक्ष की साक्ष्य में आया है, किन्तु उसके आधार पर स्वामित्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता है । ऐसे में जिन आधारों पर वादी/अपीलार्थीगण ने स्वामित्व चाहा, वे उन्हें प्रमाणित करने में असफल रहे हैं और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वामित्व के संबंध में जो निष्कर्ष निकाला है, उन्हें तथ्यों या विधि के प्रतिकूल नहीं माना जा सकता है ।
27. जहां तक कब्जे का प्रश्न है, मौके पर तार फेंसिंग पायी गयी है और शंकरजी का मंदिर, कारसदेव का चबूतरा, कुंआ, व पेड़-पौधे भी हैं, तार फेंसिंग के आधार पर भी स्वामित्व की उपधारणा नहीं बनायी जा सकती है तथा यह भी सुस्थापित विधि है कि अवैध कब्जे को विधि में कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है, क्योंकि यदि इस तरह से मात्र कब्जे को संरक्षण दिये जाने पर माननीय उच्च न्यायलय द्वारा न्याय दृष्टांत **कमलसिंह विरुद्ध जयराम सिंह 1987 मनीषा पेज-47** में यह मार्गदर्शित किया गया है कि कब्जा संबंधी निराकरण करते समय केवल कब्जा को नहीं देखा जाना चाहिये । बल्कि विधिपूर्ण आधिपत्य होना चाहिये क्योंकि यदि केवल कब्जा देखा गया तो उससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और **चालाक मुकदमेबाज वास्तविक स्वामी को कब्जा विहीन कर सकता है** । हस्तगत प्रकरण में यह इसलिये लागू किए जाने योग्य है कि विवादित संपत्ति पर वादी/अपीलार्थीगण का कोई वैध आधिपत्य होने का प्रमाण नहीं है और वह प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के पाये गये अतिक्रमण को आधार बनाकर **चालाकी से शासकीय भूमि प्राप्त करने की मंशा रखता है, जिसकी उसे विधि अनुसार अनुमति नहीं दी जा सकती है** ।
28. जहां तक सीमांकन का प्रश्न है, सीमांकन के संबंध में यह सही है कि स्थाई सीमा चिन्हों के आधार पर सीमांकन तीन दिशाओं से किया

जाना चाहिये । वादी/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्त द्वारा भी तर्क किया गया और उकनी ओर से प्रस्तुत किए गये न्याय दृष्टांत **जगदीशप्रसाद विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी.-2009 भाग-2 एम. पी.जे.आर.-पेज-234** में भी बतलाया गया है कि स्थाई सीमा चिन्हां के अभाव में माप दूषित होती है, किन्तु सीमांकन के आधार पर ही मामला विनिश्चित नहीं हुआ है और प्रतिकूल कब्जे का कोई आधार नहीं है । ऐसे में प्रस्तुत न्याय दृष्टांत **राजाराम सिंह विरुद्ध रामसिंह आदि 2006 आर.एन. पेज-218** जो कि सीमांकन पर ही आधारित है, उसके आधार पर अपील स्वीकार योग्य नहीं है । अन्य प्रस्तुत न्याय दृष्टांत **एम.एस.नारायण मेनन उर्फ मणी विरुद्ध स्टेट ऑफ़ केरल 2006 भाग-4 एम.पी.जे.आर. सु.को. पेज-97** जो कि साक्ष्य अधिनियम की धारा-3 और 4 के संदर्भ में है, जिससे साक्ष्य का मूल्यांकन किए जाने के संबंध में यही निष्कर्ष दिया गया है कि सबूत का मानक अधिसंभाव्यता की प्रबलता है और अधिसंभाव्यता की प्रबलता का अनुमान न केवल अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से लगाया जा सकता है, बल्कि जिन परिस्थितियों पर वह निर्भर करती हैं, उसके संदर्भ में भी अनुमान लगाया जा सकता है । हालांकि न्याय दृष्टांत चैक बाउंस के मामले में दोषमुक्ति के निर्णय की अपील के संदर्भ में था, किन्तु हस्तगत मामले में भी जो अधिसंभाव्यता है, वह वादी/अपीलार्थीगण के आधार को बल प्रदान नहीं करती हैं और किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता है ।

29. इस तरह से उपरोक्त समग्र विश्लेषण के आधार विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय डिक्री मुताबिक मूल वाद निरस्त किये जाने में कोई तथ्य या विधि संबंधी त्रुटि नहीं की है, इसलिये साररूप में आलोच्य निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य पाई जाती है एवं अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रथम सिविल अपील वाद विचार निरस्त की जाती है ।

30. प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये पक्षकार अपना अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

31. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी कम हो लगाया जाये ।

तदनुसार डिक्री बनाये जावे ।

दिनांक— 03 / 12 / 2014

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।
एवं दिनांकित कर पारित किया गया ।

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)